

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री छगनलाल
किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- श्री जगन्नाथ
पत्रावली संख्या : 84 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 29.07.2022</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित वसीटा द्वारा वकालत पत्र पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। विपक्षी सं. 2 छगनी बाई फौत हैं। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित है। विपक्षी सं. 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया तथा पत्थरगढी किया जाने पर सहमति जाहिर की है। विपक्षी सं. 2 फौत हैं। प्रार्थी की भूमि की सीमा का विवाद होने से विपक्षी सं. 2 के वारिसों की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाई जा सकती है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 523 किता 1 रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि के पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूलक पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पड़ोसी खातेदार व विपक्षी सं. 2 मृतक मोहनीबाई के वारिसों की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेंगे।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(कपिल कुमार कोठारी) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

